फर्द अहकाम

म न्यायालय – न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी, जयपुर

प्रार्थी		अप्रार्थीगण
गोपाल लाल	बनाम	शंकरलाल व अन्य

ख्या /24 (2024/318 online number) प्रार्थना पत्र अन्तर्गन्त धारा 212 आर.टी.एक्ट

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
3.09.2024	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने मय शपथ–पत्र अन्तर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुआ। प्रार्थी के अधिवक्ता श्री कुलदीप किशोर शर्मा ने उपस्थित होकर बताया कि अप्रार्थीगणों को यदि अविलम्ब व्यादेश से पाबंद नहीं किया गया तो इस प्रार्थना–पत्र का उद्देश्य विफल हो जाएगा। अतः अप्रार्थीगणों को बिना आवेदन की सूचना दिए एकपक्षीय सुनवाई कर व्यादेश जारी किया जावे। प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपस्थित दस्तावेजों का अवलोकन करने पर प्रथम दृष्टया यह स्थिति सामने आती है कि प्रार्थी रिकॉर्डेड सहखातेदार है एवं विवादित आराजी में प्रार्थी के हक हकुक सामिल है। अतः बिना गुणावगुण पर विचार किये विवादित आराजी खसरा नम्बर 150/11 रकबा 3.7935 वाके., ग्राम सांखश्योपरी पटवार हल्का सिंदौली भू–अभि0.नि0 क्षेत्र फाल्यावास तहसील बस्सी जिला जयपुर के संबंध में उभयपक्ष को रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाऐ रखने हेतु आगामी तारीख पेशी दिनांक 04/10/24 .तक जरिये अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। उपरोक्त खसरा नम्बर पर यदि पूर्व में कोई न्यायालय आदेश प्रभावी है तो उस आदेश की पालना पर कोई प्रभाव इस आदेश से नहीं होगा। तलबाना अप्रार्थी आज ही पेश करें। बाद जॉच सम्मन अप्रार्थी को जारी होकर प्रार्थी अधिवक्ता को दस्ती दी जावें। प्रार्थी /प्रार्थी अधिवक्ता जरिये रजि. डाक इस आदेश की प्रति के साथ प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा सम्मन भेजकर डाक रसीद पेश करें। पत्रावली पुनः दिनांक 04/10/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बस्सी,जयपुर	
10/24	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय द्वारा कन्डोलेन्स/कार्य स्थगित करने के कारण कार्यवाही नही की जा सकी। पत्रावली दिनांक 25/11/24 को पेश हो	1108 22.10.24
11/24 ow	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी व अप्रार्थी नं.1 के वकील उप., जवाब T.I. पेश किया जो शामिल मिसल है। शेष की इन्तजार तलबी हेतु पत्रावली दिनांक 3.12.24 को पेश हो (3.12.24)	
12/24	पत्रावली पेश हुई। P.O सा. ... कार्य ... 11/02/25	

11/2/25 — पत्रावली पेश हुई। P.O मा. दौरे/ [illegible] कार्य. कार्य में व्यस्त रहने से [illegible] दिनांक नहीं की जा सकी [illegible] को पेश हो Dg- 21/2/25

21/2/25 — पत्रावली पेश [illegible] कन्ट्रोलेन्स [illegible] के कारण [illegible] सकी। प[illegible] दिनांक 4/3/25 को पेश हो

4/3/25 — पत्रावली पेश हुई। P[illegible] दौरे/ [illegible] कार्य कार्य में व्यस्त [illegible] दिनांक [illegible] नहीं की जा सकी [illegible] 2/4/25 को पेश हो।

2/4/25 — पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित नहीं है ना ही प्रार्थी स्वयं उपस्थित है न्यायालय समय तक रुक रुक कर आवाजे लगवायी गयी परन्तु ना तो प्रार्थी स्वयं उपस्थित है ना ही प्रार्थी की ओर से कोई वकील आदि उपस्थित है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है न्यायालय आदेश दिनांक 23-9-24 को जारी स्थगन आदेश प्रभाव शून्य होने से निरस्त किया जाता है। पत्रावली नतीजा से आगाह कराकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उप खण्ड अधिकारी
[illegible] (जिला जयपुर)